इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 165] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 मई 2020—वैशाख 15, शक 1942

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 953-02-2020-ए-16 भोपाल, दिनांक 5 मई 2020

संविदा श्रमिक (विनियमन तथा समाप्ति) मध्यप्रदेश नियम, 1973 में संशोधन का प्रारूप संविदा श्रमिक (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 (क्रमांक 37 सन् 1970) की धारा 35 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 4 (दो) में दिनांक 23 अगस्त 2019 में प्रकाशित किया गया था।

और चूंकि उक्त प्रस्ताव के संबंध में कोई आपत्तियां/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतएव, राज्य शासन संविदा श्रमिक (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 (क्रमांक 37 सन् 1970) की धारा की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, संविदा श्रमिक (विनियमन तथा समाप्ति) मध्यप्रदेश नियम, 1973 के नियम 21 के उप नियम (1) एवं उप नियम (3), नियम 26 के उप नियम (2) एवं नियम 27 में निम्नानुसार संशोधित करता है जो इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

[hosted at sacw.net archive]

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 21 में,—

(1) उप–नियम (1) में, शब्द "प्रारूप क्रमांक चार में तीन प्रतियों में", के स्थान पर, शब्द "मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग, के अधिकारिक वेब पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन प्रारूप में" स्थापित किया जाता है।

(2) उप–नियम (3) का लोप किया जाता है।

2. नियम 26 में, उप–नियम (2) में, शब्द "फीस" के स्थान पर, शब्द "एक कलैंडर वर्ष के लिए फीस" स्थापित किये जाते है।

3. नियम 27 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किये जाते है, अर्थात्:—

"27. अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता, नियम 25 के अधीन प्रदत्त या नियम 29 के अधीन नवीनीकृत अनुज्ञप्ति, ठेके की उस अवधि के लिए विधि मान्य होगी, जिसके लिए आवेदन किया गया है।"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक शाह, प्रमुख सचिव.

[hosted at sacw.net archive]

No. 953-02-2020-A-16 Bhopal, the 5th May 2020

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the State Government, as proposed to make amendment in the Contract Labour (Regulation and Abolition) Madhya Pradesh Rules, 1973 published in the Madhya Pradesh Gazette, Part 4 (II) dated 23rd August, 2019 as required by sub-section ___of section ___of the said Act for the information of all persons likely to be affected there.

And that no comments have been received.

Now, therefore, the State Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 35 of the said Act, amend the rules 21 (1) (2), 26 (2) and 27 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Madhya Pradesh Rules, 1973 as follows, which shall come into for ce from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 21,-

(1) In sub-rule (1), for the words "in triplicate in Form No. IV", the words "in the online from available on official portal of the Labour Department, Government of Madhya Pradesh" shall be substituted.

(2) sub-rule (3) shall be omitted.

2. In rule 26, in sub-rule (2), for the words "the fees", the words "the fees for one calendar year" shall be substituted.

3. For rule 27, the following rule shall be substituted, namely :-

"27. Validity of the Licence.- Licence granted under rule 25 of renewed under rule 29 shall be valid for the period of the contract for which the application is made.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK SHAH, Principal. Secy.

[hosted at sacw.net archive]

क्र. 954-02-2020-ए-16 भोपाल, दिनांक 5 मई 2020

इस विभाग की अधिसूचना क्र एफ-4 (ई) 1-2016-ए-सोलह, दिनांक 28 मार्च, 2017 (मध्यप्रदेश राजपत्र, में प्रकाशित दिनांक 21 अप्रैल, 2017) को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन, एतदद्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 8 की उपधारा (1) एवं धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना, 2016 के अधीन गैर खतरनाक श्रेणी के 50 श्रमिकों तक नियोजित करने वाले कारखानों के लिये अन्य पक्ष प्रमाणन को मान्यता प्रदान करने हेतु अधिसूचित करता है.

ऐसे कारखाने यदि श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश के द्वारा इस हेतु अधिकृत अन्य पक्ष (Third Party) के कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुपालन का प्रमाणीकरण कराकर प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक अपने क्षेत्राधिकार के निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें दैनन्दिन निरीक्षण की प्रक्रिया से छूट मिल जायेगी परन्तु ऐसे कारखानों का निरीक्षण केवल गंभीर/ प्राणान्तक दुर्घटना या शिकायत की सूचना के आधार पर श्रमायुक्त की अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा । जो कारखाने प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय-सीमा 31 जनवरी तक अपनी विहित प्रमाणीकरण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करेंगे वे ऐसी छूट का लाभ लेने से वंचित रह जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक शाह, प्रमुख सचिव.

[hosted at sacw.net archive]

No. 954-02-2020-A-16 Bhopal, the 5th May 2020

In supersession of this department's Notification No. F-4 (E)-1-2016-A-XV dated 28th March, 2017 (published in the Madhya Pradesh Gazette dated 21st April 2017); and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 and Section 112 of the Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948), the State Government, hereby, notify to recognize the Third Party Certification for nonhazardous category factories employing upto 50 Workers as per the Business Reform Action Plan, 2016 under the Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industries, Government of India.

Such factories which submits the certification report carried out by a Third Party authorised by the Labour Commissioner, Madhya Pradesh regarding compliances of Factories Act, 1948 (No. 63 of 1948) to the Inspector having jurisdiction, before 31st January of every year, shall be exempted from routine inspection process, Provided, inspection of such factories shall only be carried out with the prior permission of Labour Commissioner, Madhya Pradesh in case of Serious/Fatal Accident or complaint information received thereto. The factories those fail to submit their compliance certification report before the prescribed deadline of 31st January of every year shall not be entitled for such exemption.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK SHAH, Principal. Secy.

[hosted at sacw.net archive]

क्र. 955-02-2020-ए-16 भोपाल, दिनांक 5 मई 2020

इस विभाग की अधिसूचना क्र एफ-4 (ई) 1-2016-ए-सोलह, दिनांक 14 जून, 2016 (मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 9 सितंबर, 2016) को अधिक्रमित करते हुए तथा कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 8 की उपधारा (1) एवं धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतदद्वारा मध्यप्रदेश कारखाना नियमावली, 1962 के निम्नलिखित संशोधित नियम 18 (ख) को प्रतिस्थापित करती है, जो कि इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावशील होगा।

संशोधन

"18 (ख) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति या ऐजेन्सी, जो श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन कारखानों के निरीक्षण के लिए अधिकृत घोषित किए गए हों, उन निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए जो कि विनिर्दिष्ट किए जाएं, कारखाने के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत होगे।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक शाह, प्रमुख सचिव.

No. 955-02-2020-A-16 Bhopal, the 5th May 2020

In supersession of this department's Notification No. -4 (E)-1-2016-A-XVI dated 14th June, 2016 (published in Madhya Pradesh Gazette dated 9th September, 2016) and in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 8 and Section 112 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), the State Government, hereby, establishes the following amended Rule 18 (B) of the Madhya Pradesh Factories Rules, 1962, which will be effective from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.

AMENDMENT

"18-B. Notwithstanding anything contrary contained in these rules, any person or agency, which is so authorized by the Labour Commissioner, Madhya Pradesh shall be authorised to conduct inspection subject to such restrictions as may be specified."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK SHAH, Principal. Secy.

[hosted at sacw.net archive]

क्र. 956-02-2020-ए-16 भोपाल, दिनांक 5 मई 2020

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 36-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा राज्य के उन उद्योगों को इस अधिनियम के अध्याय- पॉच-ए तथा अध्याय पॉच-बी के अंतर्गत धारा 25-एन, 25-ओ, 25-पी, 25-क्यु एवम 25-आर के प्रावधानों को छोडकर शेष सभी प्रावधानों से, इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से आगामी 1000 दिवस तक, इस शर्त के साथ छूट प्रदान करती है कि इन उद्योगों द्वारा नियोजित कामगारों के औद्योगिक विवादों की छानबीन तथा निराकरण हेतु समुचित व्यवस्था की जायेगी। यह अधिसूचना उन नये उद्योगों पर लागू होगी जो इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के पश्चात् आगामी 1000 दिनों में प्रथम बार कारखाना अधिनियम, 1948 में पंजीकृत होंगे तथा उत्पादन चालू करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक शाह, प्रमुख सचिव.

No. 956-02-2020-A-16 Bhopal, the 5th May 2020

In exercise of the powers conferred by Section 36-B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the State Government, hereby, exempts such industries of the state from the provisions of this Act, except the provisions of Chapter V-A and Section 25-N, 25-O, 25-P, 25-Q and 25-R of chapter V-B for next 1000 days from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette subject to condition that adequate provisions are made by such industries for the investigation and settlement of industrial disputes of the workmen employed by them. This notification shall be applicable to those new industries which will be registered in the factories act, 1948 and start production for the first time in the next 1000 days after the publication of this notification

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK SHAH, Principal. Secy.

[hosted at sacw.net archive]

क्र. 957-02-2020-ए-16 भोपाल, दिनांक 5 मई 2020

मध्यप्रदेश, औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन 1960) की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों को लागू नही होंगे, तथापि उक्त लोप श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय के समक्ष या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को प्रभावित नहीं करेगा और ऐसे मामलों को इस प्रकार निपटाया जाएगा या अग्रसर किया जाएगा मानो ऐसी मदों का लोप नहीं किया गया हो, अर्थात्:-

अनुसूची

अनुक्रमांक	उद्योगों के नाम
(1)	(2)
1	कपडा जिसमें सम्मिलित है कपास, सिल्क, कृत्रिम सिल्क, स्टेपल फाइवर, जूट तथा कारपेट
2	लोहा तथा स्टील
3	विद्युत वस्तुएं (इलेक्ट्रिकल गुडस)
4	शक्कर तथा उसके उप उत्पाद, जिसमें सम्मिलित है (एक) शक्कर के विनिर्माण में लगी हुई कृषि भूमि जिसमें गन्ना पैदा किया जाता है या शक्कर के विनिर्माण में लगे हुए समुत्थान, और (2) समस्त कृषि तथा औद्योगिक संक्रियाएं जो गन्ने के उत्पादन या उक्त विनिर्माण से संबंधित हों
5	सीमेंट
6	विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण
7	लोक मोटर यातायात
8	इंजीनियरिंग जिसमें मोटरयान का विनिर्माण सम्मिलित है
9	पटरीज जिसमें सम्मिलित है उष्मसह वस्तुएं, (रिफ्रेक्टरी गुडस), फायरब्रिक्स सेनेटरी बेअर्स, इन्सुलेटर्स, टाइल्स, स्टोनवेअर पाईप्स, फर्नेस लाइनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सेरेमिक माल
10	रसायन तथा रसायन उत्पाद उद्योग (केमिकल्स तथा केमिकल उत्पाद उद्योग)
11	चमडा तथा टेनरीज जिसमें चमडा उत्पाद सम्मिलित है

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक शाह, प्रमुख सचिव.

[hosted at sacw.net archive]

No. 957-02-2020-A-16 Bhopal, the 5th May 2020

In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960), the State Government, hereby, directs that the provision of said Act shall not apply to the industries specified in the Schedule below, however the said omission shall not affect the cases pending before the Labour Court, Industrial Court or before any other Court of Law and such cases shall be disposed of or proceeded with as such items had not been omitted, namely :-

SCHEDULE

S.No.	Name of Industries
(1)	(2)
1.	Textile, including cotton silk, artificial silk, staple fiber, jute and carpet.
2.	Iron and Steel.
3.	Electrical goods
4.	Sugar and its by products, including (i) the growing of sugarcane on farms belonging to or attached to concern engaged in the manufacture of sugar, and (ii) all agriculture and industrial operation connected with the growing of sugarcane or the said manufacture.
5.	Cement.
6.	Electricity generation transmission and distribution.
7.	Public Motor Transport.
8.	Engineering including manufacture of Motor Vehicle.
9.	Potteries including refractory goods, fire bricks, sanitary wares, Insulators, tiles, stoneware pipes, furnace lining bricks and other ceramic goods.
10	Chemical and chemical products industry.
11	Leather tanneries, including Leather products.

This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK SHAH, Principal. Secy.

[hosted at sacw.net archive]

क्र. 958-02-2020-ए-16 भोपाल, दिनांक 5 मई 2020

इस विभाग की अधिसूचना क्र एफ-4 (ई) 1-2016-ए-सोलह, दिनांक 28 मार्च, 2017 (मध्यप्रदेश राजपत्र, में प्रकाशित दिनांक 21 अप्रैल, 2017) को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन, एतदद्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 8 की उपधारा (1) एवं धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निरूपित व्यवसाय सुधार कार्य योजना, 2016 के अधीन गैर खतरनाक श्रेणी के 50 श्रमिकों तक नियोजित करने वाले कारखानों के लिये अन्य पक्ष प्रमाणन को मान्यता प्रदान करने हेतु अधिसूचित करता है.

ऐसे कारखाने यदि श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश के द्वारा इस हेतु अधिकृत अन्य पक्ष (Third Party) के कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुपालन का प्रमाणीकरण कराकर प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक अपने क्षेत्राधिकार के निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें दैनन्दिन निरीक्षण की प्रक्रिया से छूट मिल जायेगी परन्तु ऐसे कारखानों का निरीक्षण केवल गंभीर/ प्राणान्तक दुर्घटना या शिकायत की सूचना के आधार पर श्रमायुक्त की अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा । जो कारखाने प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय-सीमा 31 जनवरी तक अपनी विहित प्रमाणीकरण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करेंगे वे ऐसी छूट का लाभ लेने से वंचित रह जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक शाह, प्रमुख सचिव.

[hosted at sacw.net archive]

No. 958-02-2020-A-16 Bhopal, the 5th May 2020

Whereas, Government of Madhya Pradesh have prepared an action plan for 1000 days and decided to create more economic activities and employment opportunities in the view of economic situation arising out of world wide pandemic "COVID-19" by exempting industries from certain provisions of Factories Act, 1948 for the next 1000 days;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Factories Act, 1948, the Government of Madhya Pradesh, hereby, exempts all Factories registered under the Factories Act, 1948 in the State of Madhya Pradesh from all the provisions of the Factories Act, 1948 and Madhya Pradesh Factories Rules, 1962 except section 6, 7, 8 and section 21 to 41-H under Chapter-4 about safety, section 59, section 65, section 67, section 79 section 88, section 112 and rules made thereunder for 3 months from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK SHAH, Principal. Secy.

क्र. 959-02-2020-ए-16 भोपाल, दिनांक 5 मई 2020

मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 (कमांक 25 सन् 1958) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 05 जनवरी, 2011 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में, जहां उक्त अधिनियम लागू है, स्थित कोई भी दुकान या वाणिज्यिक स्थापना किसी भी दिन, –

(क) प्रातः 06:00 के पूर्व नही खोली जाएगी और

(ख) रात्रि 12:00 बजे के पश्चात खुली नही रखी जाएगी,

2. यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की दिनांक से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक शाह, प्रमुख सचिव.

[hosted at sacw.net archive]

No. 959-02-2020-A-16 Bhopal, the 5th May 2020

In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 (No. 25 of 1958) and in supersession of this Department's Order of even number dated 5th January, 2011, the State Government, hereby, directs that no shop or commercial establishment situated in the local areas where the said Act is enforced, shall on any days, -

(a) be opened earlier than 06:00 A.M.; and

(b) be kept open later than 12:00 P.M.

2. This order shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK SHAH, Principal. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.

[hosted at sacw.net archive]